दैनिक भास्कर

जयपुर 22-06-2021

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल

04, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर – 302004.

फोन: 0141-2711263 फैक्स: 5159694-97 ई.मेल : ewasterpcb@gmail.com

क्रमांक: 279 दिनांक : 21.06.2021

नोटिस

इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के बडे उपभोक्ताओं (Bulk Consumers) / उपयोगकर्त्ताओं हेतु नोटिस।

ई–वेस्ट(प्रबन्धन)नियम,2016 के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग, पब्लिक सैक्टर के उपक्रम, शैक्षणिक संस्थान, बहुराष्ट्रीय संगठन, सार्वजनिक, प्राईवेट, भागीदारी कम्पनियाँ जो कारखाना अधिनियम,1948 / कम्पनी अधिनियम,2013 मे रजिस्टर्ड है तथा हैल्थ केयर फैसेलिटी / अस्पताल जिसका टर्नओवर एक करोड रूपये से अधिक अथवा कर्मचारियों की संख्या बीस से अधिक हैं, "बडे उपभोक्ता(Bulk Consumers)" की श्रेणी में आते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि इन बडे उपभोक्ताओं(Bulk Consumers) द्वारा ई–वेस्ट को अन्य फर्नीचर / कबाड के साथ सामान्य कबाडी को निस्तारित(Sale/ Auction) कर दिया जाता है जो ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम,2016 के प्रावधानों का उल्लघंन है।

अतः उक्त समस्त बडे उपभोक्ताओं(Bulk Consumers) को सूचित किया जाता है कि ई–वेस्ट को अधिकृत रिसाईक्लिर / अधिकृत ई–वेस्ट कलेक्शन सेन्टर को सुपुर्द कर ही निस्तारित किया जावे। अधिकृत रिसाईक्लर्स / अधिकृत वेस्ट कलेक्शन सेन्टर की सूची मण्डल की वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध है। बडे उपभोक्ताओं(Bulk Consumers) को ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम,2016 में उल्लेखित प्रारूप–2 में उत्पन्न ई–वेस्ट का रिकार्ड रखना तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को प्रारूप–3 मे प्रतिवर्ष 30 जून या उससे पूर्व वार्षिक विवरणी(Annual Return) फाईल करना अनिवार्य है। अतः सभी बडे उपभोक्ताओं(Bulk Consumers) को नियमानुसार ई–वेस्ट का निस्तारण करने तथा 30 जून से पूर्व वार्षिक विवरणी(Annual Returns) प्रारूप–3 मे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

ई–वेस्ट(प्रबन्धन)नियम,2016 की पालना नही करने पर बडे उपभोक्ताओं(Bulk Consumers) के विरूद्ध भी पर्यावरण(संरक्षण)अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जा सकती है जिसमे पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित किया जाना भी सम्मिलित है।

राज.संवाद / सी / 21 / 2513 सदस्य सचिव